



दैनिक

# ਪੁਣਾਂਜਲੀ

ग्वालियर: वर्ष: 3 : अंक: 53

# ज्वालियर रविवार 20 नवम्बर 2022

ਪ੍ਰਤਿ: 8 ਮੂਲਿਆਂ: 2 ਰੁਪਏ

## अमित शाह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना

## कहा- आतंकी पनाहगाहों पर आर्थिक कार्रवाई ज़रूरी

नहीं दिल्ली। नो मनी फॉर टेरर के दो दिवसीय समेतन के समाप्त सत्र के दीरांग शनिवार ( 19 नवंबर, 2022 ) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखी। शाह ने पाकिस्तान का परोक्ष स्वरूप से जिक्र करते हुए कहा कि कुछ देशों, उनकी सरकारों और उनकी एजेंसियों ने 'आतंकवाद' को अपनी राज्य नीति बना लिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का प्रभाव अपनी राज्य नीति पर दुनिया के सभी देशों को अपने जियो-पॉलिटिकल इंटरेस्ट से डर उठ एक मन बनाना होता। उन्होंने कहा कि हम टेरेजिम के सभी रूपों के खिलाफ एक प्रभावी, दीर्घकालिक और ठोस लड़ाई के बिना भय-मुक्त समाज, भय-मुक्त दुनिया नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सप्त मानना है कि आतंकवाद की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, इसलिए सभी देशों को राजनीति को भूलाकर एक दूसरे का सफ्टवर बनाया है। उन्होंने कहा कि कि कुछ देशों, उनकी सरकारों व एजेंसियों ने 'टेरेजिम' को स्टेट पालिसी बनाया है। उन्होंने कहा कि टेरेर हेवन्स पर आर्थिक प्रतिबंध के साथ सभी प्रकार की नकेल करना आवश्यक है। इस पर दुनिया के सभी देशों को अपने जियो-पॉलिटिकल इंटरेस्ट से डर उठ एक मन बनाना होता। उन्होंने कहा कि हम टेरेजिम के सभी रूपों के खिलाफ एक प्रभावी, दीर्घकालिक और ठोस लड़ाई के बिना भय-मुक्त समाज, भय-मुक्त दुनिया नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सप्त मानना है कि आतंकवाद



लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्वशांति के खिलाफ नासून है, जिसे हमें जीतने नहीं देना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी एक देश या संघठन आतंकवाद को अंकेता नहीं हो सकता। गृह मंत्री ने कहा कि हाल ही में भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करने उन्हें आतंक की ओर धकेलने की साझिया करने वाली संस्था को बैन किया है। मेरा मानना है कि हर देश के ऐसी संस्थाओं को ट्रैकिंट कर करिष्ट करने की कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें टेरेजिम और टेरेसिस्म गणों के खिलाफ इस लड़ाई को पालेंगे और भौगोलिक और

# ਇਟਾਰ्ड ਆਰਿਏਏਸ ਅਲਣ ਗੋਯਲ ਹੋਂਗੇ ਚੁਨਾਵ ਆਧੁਕਤ, ਰਾ਷ਟਰਪਤਿ ਦ੍ਰਾਪਦੀ ਮੁਰ੍ਮੁ ਨੇ ਦੀ ਮਾਂਜੂਰੀ

नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव से टीक पहले सेवानिवृत्त नौकरशाह अरुण गोयल को शनिवार (19 नवंबर, 2022) को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। देश के शीर्ष चुनाव निकाय में तीसरा पद छह महीने



से खाली है। गोलत्य पंजाब कैडर के पूर्व अधिकारी है। नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के एक दिन बाद राष्ट्रपति दौपी मुर्मू ने शनिवार को अरुण गोयल को चुनाव आयुक नियुक्त किया। शनिवार शाम को केंद्रीय कानून मंत्रालय की एक विज्ञिस में कहा गया है कि

चुनाव आयुक राजीव कुमार और चुनाव आयुक अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव पैनल में शामिल होंगे। तीन सदस्यीय आयोग में एक चुनाव आयुक का पद 15 मई से खाली है, जब तक लोनीचुनाव आयुक राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा के पद से सेवानिवृत्त होने पर मुख्य

**24 घंटे के भीतर लागू हो आदेश, गौतम नवलखा की हाउस अरेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहांची ईडी को फटकार**

जनरल तुशार महेता ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने हाउस अरेस्ट के आदेश को वापस ले। इस केस में ऐसे तथ्य आए हैं, जिनको

छिपाया गया है। ये हमारी ड्यूटी है कि सारे मामले को कोर्ट के समान रखें। मेहता ने कोर्ट को बताया, 'तथ्य काफी चौकने वाले हैं। सब भान रहे थे कि नवलखा का स्वास्थ्य खराब है। उन्होंने कई अस्पतालों में जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो जसलोक अस्पताल गए, जहां उन्होंने एक वरिष्ठ डॉक्टर से अपने रिपोर्ट छिपाए।' इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा, 'यह सब दलीलें पहले हो चुकी हैं। यह मामला ऐसा नहीं है कि आपको दलीलें देने का मौका नहीं मिला। पूरी तरह सुनवाई हुई थी। अब क्या पुनर्विचार चाहते हैं?' इस पर मेहता ने कहा, 'भारी दिल से कह रहे हैं। जेंटली में उनके जैसे और भी कैदी हैं। उनको इस तरह हाउस अरेस्ट में नहीं रखा जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर नवलखा के रिसेप्शन हैं। इसके अलावा जो भवत नवलखा की नज़बूदी के लिए तय किया गया है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है। इसके बाद जस्टिस जोसेफ ने कहा कि तो क्या हुआ। जोसेफ ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश की मान्यता प्राप्त पार्टी है। इस पर मेहता ने कहा, 'क्या आपकी अंतर्राष्ट्रीय दस्तऐवाज़ सही मानती है। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हाँ मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखती। मेहता ने कहा कि हमें इसमें गड़बड़ी लगी। इसके बाद कोर्ट के समान यह तथ्य रखा। मुख्य तीन आधारों पर नवलखा के हाउस अरेस्ट को कैसिल करने की मांग की थी। ईंडी का कहना था कि तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया। कानूनी प्रक्रिया दुष्पायोग किया गया। साथ ही पुनर्विचार की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में पक्षपात द्वारा

ये गंभीर मुद्दा, हम  
पहले इसे देखेंगे

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारा झटका दिया है। अदालत का कहना है कि वो अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले सुनवाई करेगा। उसके बाद सेना भर्ती से जुड़ी दूसरी याचिकाओं पर विचार होगा। कोर्ट ने इसके लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि अग्निपथ स्कीम बेहद गंभीर मसला है। हम पहले इसे ही देखेंगे। केंद्र सरकार के लिए ये झटका है, क्योंकि केंद्र ने पहले अपने जवाब में कहा था कि स्कीम से जुड़ी याचिकाओं को अपनियां छोड़ा जाएगा।

**सावरकर ने अंग्रेजों से मांगी थी माफ़ी, महात्मा गांधी के परपोते तुषार बोले- ये वाटसऐप यूनिवर्सिटी का जमला नहीं, ऐतिहासिक तथ्य**

को एक महान क्रतिकारी के तौर पर पेश किया है। इस बीच तुषार गांधी के बयान ने सावधानकर के मुद्दे को एक बार फिर से हवाला दे दी है। भारत जोड़ा यात्रा में शामिल होने के बाद तुषार गांधी ने भारतीय इतिहास में यात्राओं देश का पारंपरिक हिस्सा रही है। इन यात्राओं ने कभी महत्वपूर्ण क्रांतियों को जन्म दिया है। आज जब देश महाराष्ट्र परिज्ञान के स्थापित किए गए बांधे बदले जा रहे हैं ऐसे में से सम्बन्धित ज्ञाना संस्करणाएँ हो जाएंगी।

है कि अभी हमने हार नहीं मानी है।  
 महाराष्ट्र में भरत जोड़ी यात्रा निकलते हुए राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अग्रेजों का मददगार बताया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वीर सावरकर ने अग्रेजों को लिखे गए एक पत्र में कहा था, 'सर मैं आपका आज्ञाकारी सेवक बने रहें का याचना करता हूँ'। इन्हाँ ने नहीं सावरकर ने इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे। कांग्रेस के पूर्ण अच्छक्ष ने इस दौरान सावरकर को अग्रेजों की मदद करने वाला भी कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि उठें रुठ था क्योंकि उन्होंने सरदार पटेल और महाराष्ट्रामणी जैसे लोगों को धोका दिया था।

‘अद्वितीय बहुवाचा भद्रवाचा’ या सामाजिक

अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय के लोगों से बोले **पीएम नरेंद्र मोदी**













